

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 21 / 1-12 देहरादून दिनांक, 21 सितम्बर, 2022

पदोन्नति/तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 708/1-12(29) दिनांक 13-09-2022 द्वारा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 20-09-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतनमान 35400-112400 लेवल-6 के कार्मिक को वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान 44900-142400 लेवल-7 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री कनक सिंह रावत	प्र०व०, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, देहरादून

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कार्मिक अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

5. स्थानान्तरण की स्थिति में जिस कार्यालय में योगदान दिया जाना है में नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया हो।

Signed by Manoj Chandran

Date: 21-09-2022 15:16:18

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

सं० 1/6902/2022 (1) / 1-12 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
4. मु०व०सं०, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

I.F.G.C
 21/9/22

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक